न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिकी 37/2021
पंजीयन दिनांक 22.06.2021

पारसनाथ पिता शंकरनाथ जाति योगी उर्फ जोगी निवासी भोपालसागर तहसील भोपालसागर जिला चित्तौड़गढ़। मृतक के बजाय–

(1). जितेन्द्र पिता पारसनाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी निवासी हाल सेती चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(2). विशाल पिता पारसनाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी निवासी हाल सेती चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(3). मधुमती पत्नी पारसनाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी निवासी हाल सेती चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(4). सीमानाथ पुत्री पारसनाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी निवासी हाल सेती चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(5). सोनिया पुत्री पारसनाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी निवासी हाल सेती चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(6). निशा पुत्री पारसनाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी निवासी हाल सेती चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). चन्दर रावल पिता बाली रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

(2). भंवरबाई पत्नी बाली रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

(3). दरियाकंवर पुत्री बाली रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

(4). फूलकंवर पुत्री बाली रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

(5). नरेन्द्र रावल पिता बाली रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

(6). महेन्द्र रावल पिता बाली रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

(7). शान्ता देवी पत्नी मोहन रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(8). प्रवीण रावल पिता मोहन रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

(9). विमलेश रावल पिता मोहन रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

(10). पूजा पुत्री मोहन रावल जाति जोगी नाबालिग बविलायत माता शान्ता देवी पत्नी मोहन रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

(11). रेखा पुत्री पारसनाथ उर्फ पार्श्वनाथ जाति योगी उर्फ जोगी निवासी हाल 50 जो. एस. ग्रीन लैण्ड डार्ट फोर्ट, कैम्प केन्ट, काउन्टी यू.के.(लन्दन)।

(12). तहसीलदार देवगढ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

(13). उप पंजीयक देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

-रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
प्रकरण संख्या 63/2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.05.2018

उपस्थित वक्त बहस-(1). छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). रेस्पो0 संख्या 1 से 4 व 7 से 11- बावजूद सूचना अनुपस्थित
(3). अमित नाहर-अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण सख्या 5 व 6
(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 12,13

निर्णय **दिनांक 07.10.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 10 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 41 मे दर्ज आराजी संख्या 42/1 रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 42/3 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 42/4 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 43 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 77 रकबा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 78 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 79 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 211 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 212 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 213 रकबा 4 बीघा, खसरा संख्या 214 रकबा 3 बिस्वा आराजी चाह कुल किता 11 कुल रकबा 54 बीघा 5 बिस्वा भूमी रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 10 वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात होकर दर्ज रेकॉर्ड हे। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 10

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादीगण के परिवार का सजरा भी वादपत्र में प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि आराजीयात बाली रावल गुरू जोत रावल निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ की खुद काश्त कृषि आराजीयात थी। बाली रावल गुरू जोत रावल की मृत्यु ग्राम कोटडा मे दिनांक 09.08.1999 को हुई । उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि आराजीयात प्रारम्भ से ही बाली रावल गुरू जोत रावल की कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे रही एवं बाली रावल की मृत्यु के बाद उक्त कृषि आराजीयात बाली रावल के वारिसान रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 10 वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे बिना किसी बाधा के लगातार चली आ रही है। नामान्तरण संख्या 16 दिनांक 31.07.1960 को ग्राम पंचायत पारडी द्वारा गलत रूप से पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तरण को स्वीकृत कर वादग्रस्त कृषि आराजीयात पारसनाथ गुरू बाली रावल के नाम दर्ज कर दी। उक्त कृषि आराजीयात जो दर्ज की गई उसमे दर्शाया गया कि जबानी वसीयत से बाली रावल गुरू जोत रावल की खुदकाश्त भूमि मे से 54 बीघा 5 बिस्वा भूमि पारसनाथ गुरू बाली रावल को बाली रावल के चेले के रूप मे प्रदान की गई। जबकि बाली रावल ने कभी किसी को चेला नहीं रखा और न ही कोई जबानी वसीयत या लिखित वसीयत की गई। बाली रावल ने अपने जीवनकाल मे न तो कभी पारसनाथ को चेला रखा न ही कोई जबानी वसीयत की। जबकि विधि विरूद्ध जबानी वसीयत दर्शाकर उक्त नामान्तरण स्वीकृत किया गया जो नामान्तरण प्रारम्भ से ही विधिक दृष्टि से ही शून्य है। कानूनी रूप से जबानी वसीयत का न तो कोई अस्तित्व होता है और न ही अमल मे लाई जा सकती है। वसीयत व्यक्ति के जीवनकाल मे अमल मे नहीं लाई जाकर उसकी मृत्यु के बाद ही अमल मे लाई जा सकती है। बाली रावल की मृत्यु दिनांक 09.08.1999 को हुई जबकि उक्त शून्य नामान्तरण गलत रूप से दिनांक 31.08.1960 को बाली रावल के जीवनकाल मे ही खोल दिया गया। जिसकी जानकारी न तो बाली रावल को थी और न ही उसके वारिसान को हुई। वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 10 बाली रावल के वारिसान है। बाली रावल ने कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना चेला नहीं रखा। नामान्तरण खोले जाने के समय बाली रावल की आयु 35 वर्ष के लगभग थी उक्त छोटी आयु मे कोई व्यक्ति किसी को चेला नहीं रखता है और न ही रखने की सोचता है। बाली रावल स्वयं शादीशुदा थे एवं किसी प्रकार का चेला रखने की आवश्यकता खातेदार बाली रावल को नहीं थी एवं जिस पारसनाथ को नाबालिग चेला बताकर नामान्तरण खोला गया वह नामान्तरण अवैध, शून्य प्रभावहीन व्यर्थ एवं निरर्थक है। पारसनाथ ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर गलत व फर्जी तरीके से नामान्तरण पारसनाथ गुरू बाली रावल के नाम दर्ज करवा दिया । उक्त भूमि बाली रावल की खुद काश्त कृषि आराजीयात थी जिसके वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 10 वारिसान होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उत्तराधिकारी है। नामान्तरण संख्या 16 जो ग्राम पंचायत पारडी द्वारा स्वीकृत किया गया वह प्रारम्भ से ही निरर्थक व शून्य है जिसे अलग से निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है। विधिक रूप से जबानी वसीयत बिना हस्ताक्षरित वसीयत व बिना लिखित वसीयत का कोई महत्व नहीं है, जो नामान्तरण खोला गया वह विधिक रूप से शून्य निरस्तकरणीय नामान्तरण है।

वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 10 के पिता बाली रावल व उनकी मृत्यु के पश्चात स्वयं वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 10 उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 10 की उक्त वर्णित पैतृक कृषि आराजीयात को अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। अन्त मे उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे से प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 10 का नाम उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के संबंध मे ग्राम पंचायत पारडी द्वारा खोले गए नामान्तरण संख्या 16 को निरस्त किया जाकर शून्य घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया कि वह वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 10 के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे दखलंदाजी नहीं करे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलांट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.11.2016 नियत की गई। दिनांक 07.11.2016 को भी अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की तामील नहीं होने से आगामी तारीख पेशी वास्ते तलबी नियत की गई। दिनाांक 22.05.2017 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की तामील होने से व प्रतिवादी संख्या 1 की तामील नहीं होने से आगामी तारीख पेशी नियत की गई व उक्त पत्रावली मे तारीख पेशी दिनांक 16.05.2018 वास्ते तामील प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट नियत की गई। उससे पूर्व रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 10 वादीगण ने दिनांक 19.04.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 की तामील नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन नोटिस अखबार मे छाया कराना चाहते है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट की तामील अखबार मे छाया करने का आदेश पारित किया जिस पर रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 10 वादीगण ने सम्मन नोटिस प्रस्तुत किया जो दिनांक 28.04.2018 को छाया किया गया। व उक्त सम्मन नोटिस छाया की प्रति अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत हुई

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जसके आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली दिनांक 16.05.2018 को नियत की गई जिसमे बिना किसी साक्ष्य सबूत के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 10 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के विचाराधीन रहते हुए अधिवक्ता अपीलांट्गण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो को रेकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा मे विचाराधीन था। दिनांक 18.11.2020 को अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान ने पत्रावली मे लिखित बहस प्रस्तुत की व पत्रावली रेस्पोडेन्टगण की बहस मे विचाराधीन थी। पत्रावली के बहस मे विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने राजस्व मण्डल राजस्थान में पत्रावली मुतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा मुतकिली प्रार्थना पत्र क्रमांक 4433/2020 दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 09.04.2021 को निर्णित किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली न्यायालय हाजा को मुतकिल की जाकर निर्णय पारित किये जाने हेतु अधिकारिता प्रदान की गई।

इस न्यायालय द्वारा पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति ली गई। उभयपक्षों की पत्रावली मे लिखित बहस व मौखिक बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते निर्णय अंतिम नियत की गई। अधिवक्ता अपीलांट ने पत्रावली मे आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी के साथ राजस्व रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां जो वर्ष 2014 से 2065 तक की है, प्रस्तुत की है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे एकपक्षीय कार्यवाही होकर निर्णय पारित हुआ है। जिससे न्यायहित मे अपीलांट्गण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नियम 27 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज जो प्रकरण से सुसंगत होने से रेकॉर्ड पर लिया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में लिखित बहस प्रस्तुत की व वक्त मौखिक बहस निवेदन किया कि बाली रावल गुरू जोत रावल की विवादित कृषि आराजीयात खुद काश्त की थी। नामान्तरण संख्या 16 दिनांक 31.07.1960 को स्वीकृत हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरण मे पारसनाथ गुरू बाली रावल के नाम दर्ज की है व उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात अपीलांट्गण के पिता पारसनाथ के स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी मे दिनांक 31.07.1960 से चली आ रही है। उक्त कृषि आराजीयात से रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण का उक्त आराजीयात पर आज दिनांक तक कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग नहीं रहा है। उक्त कृषि आराजीयात बाली रावल के चेले पारसनाथ को चेले के रूप मे दी थी तथा इसके नामान्तरण मे जालसाजी कर जबानी वसीयत शब्द बाद मे लिखा गया है। उक्त कृषि आराजीयात पर अपीलांट्गण के पिता का सन 1960 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा था। उनकी मृत्यु दिनांक 18.05.2018 के पश्चात उक्त कृषि आराजीयात अपीलांट्गण के पिता के बजाये अपीलांट्गण का नाम दर्ज करवाने के लिए अपीलांट्गण राजस्व कर्मचारियो के पास गए तो उन्होने बताया कि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात एकतरफा मे पारित निर्णय व डिक्री से रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गई है। रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण द्वारा गलत वादपत्र प्रस्तुत किया जाकर अपीलांट्गण के पिता की तामील हेतु सम्मन नोटिस गलत पते पर भेजा गया । साथ ही ऐसे अखबार मे सम्मन प्रकाशित किया गया जो अपीलांट्गण के पिता के यहा नहीं आता है। अखबार मे सम्मन प्रकाशन किये जाने से पूर्व अपीलांट्गण को सम्मन रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्गण को सम्मन रजिस्टर्ड डाक से नही भिजवाया जाकर सीधे ही अखबार मे प्रकाशन किये जाने का आदेश पारित किया है । जिससे अपीलांट्गण की प्रोपर तामील नही होने के बावजूद दिनांक 16.05.2018 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य लिये बिना, अपीलांट्गण की बिना तामील के व अपीलांट्गण को बिना सुने एकतरफा मे निर्णय व आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण का कभी कब्जा नही रहा है। फिर भी कब्जेयाबी का वाद लाये बिना धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद चलने योग्य नही होने के बावजूद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद स्वतः सिद्ध नहीं होता है और न ही कब्जे के सम्बन्ध मे बिना शहादत के कोई वाद निर्णित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति मे वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से वादीगण रेस्पोडेन्टगण का वाद निरस्त किया जाना आवश्यक था फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्टगण के वादपत्र को स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्टगण वादीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 09.08.1999 को हो गई है जबकि वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से वादपत्र सन् 2016 मे अर्थात 17 वर्षो बाद प्रस्तुत किया है। अपीलांटगण के पिता प्रतिवादी सख्या 1 की मृत्यु दिनांक से आज तक उक्त कृषि आराजीयात पर अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान का शांतिपूर्वक कब्जा व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के नामान्तरण मे कांटछाट की जाकर जबानी वसीयत शब्द बाद मे जोड़ा गया है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा सन् 1960 मे खोले गए नामान्तरण को चुनौती देते हुए यह घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त नामान्तरण से कोई आपत्ती है तो ऐसे नामान्तरण के विरुद्ध अपील करना आवश्यक था। ऐसी अपील उपखण्ड अधिकारी द्वारा श्रवण योग्य है। एवं यदि कोई नामान्तरण तहसीलदार द्वारा खोला गया है तो ऐसी स्थिति मे अपील जिला कलक्टर द्वारा श्रवण योग्य है। परन्तु किसी भी स्थिति मे नामान्तरण के विरुद्ध व कब्जेदार के विरुद्ध 55 वर्षो के बाद प्रस्तुत वादपत्र पोषणीय नहीं है क्योंकि कब्जेयाबी का वाद केवल 12 वर्षो मे ही लाया जा सकता है जिस कारण वादीगण ने जानबूझकर कब्जेयाबी के तथ्य को छुपाया है तथा कब्जेयाबी के सम्बन्ध मे कोई सहायता वादीगण द्वारा नही चाही गई है, जिससे रेस्पोडेन्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। अपनी लिखित बहस मे अंकित तथ्यों के समर्थन मे अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो का उल्लेख किया गया। अन्त मे अपील अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण संख्या 5 व 6 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.05.2018 को पत्रावली लोक अदालत केम्प मे रखी जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का वादीगण रेस्पोडेन्टगण को खातेदार घोषित किये जाने व उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के राजस्व रेकॉर्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट का नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वलोपित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर वक्त नामान्तरण कब्जा नहीं था और न ही वर्तमान मे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर काबिज काश्त है। अपीलांट्गण प्रतिवादीगण के कथनानुसार यदि नामान्तरण मे जबानी वसीयत शब्द बाद मे जोड़ा गया है तो अपीलांट्गण प्रतिवादीगण के पिता पारसनाथ के नाम उक्त कृषि आराजीयात का नामान्तरण खोले जाने का आधार क्या है, इस तथ्य को अपीलांट्गण प्रतिवादीगण ने स्पष्ट नहीं किया है। साथ ही उक्त तथाकथित जबानी वसीयत के आधार पर किया गया हस्तांतरण सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के विरूद्ध है । साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सरकारी दस्तावेज साक्ष्य मे ग्राह्य है। बाली रावल की मृत्यु के कारण वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण को उक्त आराजीयात की घोषणा की आवश्यकता होने पर वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण की ओर से वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिसे दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित करने मे कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 12 व 13 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट्गण प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 10 वादीगण ने अपीलांट्गण के पिता पारसनाथ व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 19.04.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट्गण के पिता पारसनाथ की तामील नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन नोटिस अखबार मे छाया किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया । अपीलांट्गण के पिता पारसनाथ का निवास स्थान भोपालसागर तहसील भोपालसागर अंकित करते हुए सम्मन नोटिस जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

कि अपीलांट्गण का संयुक्त परिवार होकर अपीलांट्गण व उनके पिता सेंती चित्तौड़गढ़ मे विगत कई वर्षो से निवासरत है। यहां तक कि निर्णय के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 पारसनाथ की मृत्यु हुई है जो भी सेंती चित्तौड़गढ़ मे ही हुई है। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी संख्या 1 पारसनाथ की प्रोपर तामील होना नहीं पाया जाता है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.05.2018 को तामील हो जाना मानते हुए एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण के पिता के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर बिना साक्ष्य सबूत के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है। जो विधि सम्मत नहीं होने से व अपीलांट्गण प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी जो स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रेकॉर्ड पर लिया गया है उक्त दस्तावेजों का पुनः परीक्षण किया जाकर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित होने से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ प्रकरण संख्या 63/2016 राजस्व वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्गण प्रतिवादी का जवाबदावा लिया जाकर, तनकीयात कायम की जाकर, आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए, अजसरे , तनकीवार , नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 14.11.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)